भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह,विल्लिंग्डन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in | Control Room: 0484-2666422
E-mail: cochincustoms@nic.in | Fax: 0484-2668468

F.No: GEN/CB/APPL/4/2021-IMP/Bond -O/o COMMR-CUS-COCHIN

DIN: 20241058MB000000E15E Date: Approved Date

सार्वजनिक सूचना संख्या Public Notice No: 11/2024-25

विषय: सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स(नासिन), पालसमुद्रम द्वारा सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियम 6 के तहत ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन - से संबंधित।

Subject: Conduct of online examination under Regulation 6 of Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 by the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN), Palasamudram – reg.

वर्ष 2025 हेतु सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग की लिखित परीक्षा, नासिन द्वारा दिनांक मार्च 2025 में भारत के विभिन्न निर्दिष्ट केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

The written examination of Customs Brokers Licensing Examination, for the Year 2025, shall be conducted by NACIN in March 2025 at the designated examination centers across India.

2. आवेदकों को सीबीएलएमएस में आवेदन पत्र भरते समय पॉलिसी सेक्शन का सावधानीपूर्वक चयन करना होगा। पॉलिसी सेक्शन का अर्थ वह सीमा शुल्क आयुक्तालय है, जिसके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आवेदक का व्यवसाय हेतु इच्छुक क्षेत्र आता है। पॉलिसी सेक्शन की सूची सीबीएलएमएस पोर्टल पर "हमसे संपर्क करें" टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि, आवेदन-पत्र पूरी और सटीक जानकारी के साथ भरा और जमा किया गया जाए, क्योंकि इसे केवल एक बार ही जमा किया जा सकता है। पूरी तरह से

भरा गया "एफ श्रेणी परीक्षा एवं लाइसेंस" आवेदन दिनांक 22.10.2024 से 21.11.2024 को 24:00 बजे तक केवल सीबीएलएमएस पोर्टल (https://cblms.gov.in) पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाए।

Applicants should carefully choose the Policy Section while filling out the application form in CBLMS. Policy Section means the Customs Commissionerate having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry business. The list of Policy Section is available on the CBLMS Portal under the tab "Contact Us". It is essential to ensure that the application form is filled out and submitted with complete and accurate information, as it can be submitted only once. The complete “F Category Exam & License” application must be submitted from 22.10.2024 to 21.11.2024 up to 2400 Hrs in online mode only on the CBLMS Portal (https://cblms.gov.in).

3. आवेदक को “एफ श्रेणी परीक्षा एवं लाइसेंस” आवेदन पत्र में ऑनलाइन या पॉलिसी सेक्शन में मैनुअल चालान के माध्यम से ₹ 500/- (केवल पाँच सौ रुपये) का निर्धारित शुल्क अदा करना होगा और “एफ श्रेणी परीक्षा एवं लाइसेंस” आवेदन में इस मैनुअल चालान की एक प्रति अपलोड करनी होगी। शुल्क के सफल भुगतान के बिना कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The applicant must pay the prescribed fee of ₹ 500/- (Rupees five hundred only) either online in the “F Category Exam & License” application form or through a manual challan at the Policy Section and upload a copy of this manual challan in the “F Category Exam & License” application. No application will be accepted without successful payment of the fee.

4. ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे, जो ढ़ाई घंटे (10:30 बजे से 13:00 बजे तक) की अवधि के लिए होंगे। प्रश्न द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा:

The online written examination will be a Computer Based Exam with Multiple Choice Questions (MCQs) of two and half hours (10:30 Hrs to 13:00 Hrs) duration. Questions will be bilingual i.e. in English and Hindi. The pattern of the examination will be as follows:

प्रश्नों की संख्या No. of questions :150

अंकों की योजना Marking scheme :+**3** प्रत्येक सही उत्तर हेतु for each correct answer & -**1** प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -**1** for each incorrect answer
अधिकतम नंबर Maximum Marks : 450
अर्हक अंक Qualifying marks : 270 (60 %)

5. परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 के विनियमन 6(7) में निर्धारित है। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को उक्त विनियमन के विनियम 6 के अनुसार मौखिक परीक्षा देनी होगी।

The syllabus of examination is prescribed in Regulation 6(7) of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018, as amended. Those qualifying in the said examination will have to appear for oral examination in terms of Regulation 6 of the said Regulations.

6. मौखिक परीक्षा कैलेण्डर वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा में अर्ह होने के लिए आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत 60% होगा।

The oral examination will be held during the second quarter of the calendar year 2025. The pass percentage marks for qualifying in the oral examination will be 60%.

7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2018 को जारी दिशा-निर्देशों तथा सीबीआईसी द्वारा दिनांक 10.10.2018 के पत्र द्वारा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रसारित दिशा-निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि बेंचमार्क विकलांगता के इन मानदंडों को पूरा करने वाले तथा इन दिशा-निर्देशों का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपनी पात्रता तथा इच्छा के बारे में उचित रूप से सूचित करें, ताकि परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण तथा उसकी भागीदार एजेंसियों द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

Attention is invited to the Guidelines dated 29.08.2018 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) and circulated by CBIC vide letter dated 10.10.2018 pertaining to the persons with benchmark disability. It is hereby advised that eligible candidates meeting these criteria of benchmark disability and willing to avail the benefit of these guidelines should appropriately intimate about their eligibility and willingness so that necessary arrangements can be made by the exam conducting authority and its partner agencies.

8. अभ्यर्थियों की जागरूकता के उद्देश्य से एक अभ्यास प्रश्नपत्र फरवरी 2025 से सीबीआईसी तथा नासिन की वेबसाइट www.cbic.gov.in तथा www.nacin.gov.in के आईकॉन/टैब <GSTP/CBLR EXAM> पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने का लिंक भी दिया जाएगा। पात्र आवेदकों को परीक्षा की तिथि से 12 दिनों के पूर्व प्रवेश-पत्र ई-मेल से भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु केंद्रों की सूची, अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश, हेल्प डेस्क, ई-मेल आईडी आदि जैसी अन्य आवश्यक जानकारी भी उक्त आइकन/टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

A dummy question paper for the purpose of awareness of candidates will be made available on the CBIC and NACIN websites www.cbic.gov.in and www.nacin.gov.in under the icon/tab <GSTP/CBLR EXAM> from February 2025. A link to download the admit card will also be provided therein. Admit cards shall also be sent by e-mail to eligible applicants 12 days in advance before the date of examination. For the convenience of candidates, other necessary details like list of centers, guidelines to the candidates, help desk, e-mail ID, etc. will also be made available under the said icon/ tab.

Signed by
Gurkaran Singh Bains
Date: 17-10-2024 22:31:42

गुरकरण सिंह बैंस Gurkaran Singh Bains

आयुक्त Commissioner

प्रतिलिपि Copy to:

1. ई डी आई EDI
2. सूचना पट्ट Notice Board
3. केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि-682 018The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, C.R. Building, I.S. Press Road, Kochi - 682 018.
4. कोचिन सीमा शुल्क ब्रोकर असोसिएशन Cochin Customs Brokers Association